(1)

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

खुभलाल गोप वगै0 बनाम् बुधन गोप वगै०
विविध वाद संख्या –24/2024
U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
C.C. Issued 13/6/24 [signature]	(see below)	

प्रथम पक्षः–

1. खुभलाल गोप, पिता – स्व0 लेखो गोप,
2. सेवली देवी, पति – खभुलाल गोप,

ग्राम– छोटकी सरिया, थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. बुधन गोप, पिता – स्व0 चितो गोप,
2. भगीया देवी, पति – स्व0 जगदीश गोप,
3. रवि मंडल, पिता – श्री भी मंडल,
4. रंजित मंडल, पिता – दुर्गालाल मंडल,

तीनों साकिन – छोटकी सरिया, पो0 – सरिया,

5. धानेश्वर मंडल, पिता – नानू महतो,
6. किरन देवी, पति – धानेश्वर मंडल,
7. बंधन गोप, पिता – स्व0 चितो गोप,

तीनों साकिन– केशवारी, सभी थाना– सरिया, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

C.C. Issued 13/6/24 [signature]

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
मन्दरामों	233	605	50 डी0 मधे 16.75 डी0	उ0– परती पथल, द0– रास्ता, पु0– चितो कहार, प0– लालो गोडाइत

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन मे लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 01.02.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 03 पृष्ठ, प्रदर्श **A-1**
2. केवाला संख्या– 898/1979, दिनांक– 29.01.1979 की छायाप्रति– कुल 06 पृष्ठ, प्रदर्श **A-2**

[signature] 04/... अनुमण्डल दण्डाधिकारी ... (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

3. ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. खुबलाल गोप की आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. सेवली देवी की आधार कार्ड की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वाइंट नं0 3 – यह कि उत्पन्न विवाद मौजा – मन्दरामों, खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 50 डी0 मधे 16.75 डी0 पर उत्पन्न हुआ जब द्वितीय पक्ष के लोग दिनांक – 29.01.2024 को समय 10 बजे दिन करीब 10, 15 व्यक्ति हरवे हथियार से लेस होकर प्रथम पक्ष के जमीन पर आए और जमीन का घेराबंदी करने हेतु नींव खोदने लगे तथा युद्धस्तर दिवालखड़ा करने लगें।

आवेदन का प्वाइंट नं0 5 – यह कि उपरोक्त जमीन बजरिये केवाला से हासिल है, जिसका डीड नं0 – 898/1979, दिनांक – 29.01.1979 से जो रैयती खाता का है, और उसका नामांतरण करा कर रसीद प्राप्त करते आ रहे है, जिसका छायाप्रति संलग्न कर रहे है, और लगभग 50 वर्षों से दखलकार चले आ रहे है।

पुनः प्रथम पक्ष के द्वारा पूरक कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 2 – यह कि प्रथम पक्ष को यह जमीन केवाला से प्राप्त जमीन है, केवाला प्रथम पक्ष को स्वयं के नाम 1. खुबलाल गोप, पिता – स्व0 लेखो गोप 2. सेवली देवी, पति – खुबलाल गोप के नाम पर है इनको यह केवाला विक्रेता 1. भातु महतो, पिता – स्व0 लीलो महतो 2. झनिया देवी, पति – भातु महतो ने बिक्री किये है। यह केवाला दिनांक 29.01. 1979 केवाला संख्या – 898/1979 है। इस केवाला में मौजा – छोटकी सरिया वो मंदरामों थाना नं0 – 32 वो मंदरामों 45 तौजी नं0 – 28 के अंतर्गत कुल खाता – 12, जमा प्लॉट – 14 बिक्री रकबा – 1 एकड़ 46 डी0 हासिल है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 3 – यह कि इसी केवाला से प्राप्त जमीन में से खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 50 डी0 मधे $16\frac{3}{4}$ डी0, चौहदी उ0 – परती पथल, द0 – रास्ता, पू0 – चीतो कहार, प0 – लीलो गोड़ाईत।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 4 – यह कि उपरोक्त जमीन पर खरीदगी के बाद प्रथम पक्ष ने दाखिल खारिज करवाया, दाखिल खारिज करवाकर जमाबंदी अपने नाम से किये है जो पंजी II में भोलुम नं0 – 6, पेज नं0 – 11 में दर्ज है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 5 – यह कि द्वितीय पक्ष ने जिस व्यक्ति से जमीन लिये हैं विक्रेता कंधन गोप ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दिये है और आगे की चौडाई लगभग द्वितीय पक्ष हड़पना चाहते है। उपरोक्त जमीन कुल रकबा – 50 डी0 है जिसके दक्षिण तरफ रास्ता है रोड तरफ लगभग चौडाई 40 फीट है जिसमें प्रत्येक हिस्सेदार के हिस्से में चौडाई में लगभग 13 फीट आता है, परन्तु दोनों मिलकर जिससे द्वितीय पक्ष लिये है इन्होनें 35 फीट चौडाई बिक्री कर दिये है विवाद का मुख्य कारण यही हैं।

द्वितीय पक्ष

द्वितीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 13.04.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**

04-05-2024
...अधिकारी
...सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

2. केवाला संख्या – 3224, दिनांक – 26.07.2019 की छायाप्रति – कुल 27 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. केवाला संख्या – 3225, दिनांक – 26.07.2019 की छायाप्रति – कुल 27 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. ऑनलाइन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. आदेश की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
6. शुद्धिपत्र की छायाप्रति – कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-6**
7. न्यायालय अनुमण्डल, बगोदर – सरिया के वाद संख्या – 68/2023 की छायाप्रति – कुल 24 पृष्ठ, **प्रदर्श B-7**

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 01 – यह कि विवादित जमीन मौजा – मन्दरामों, थाना नं0 – 45, खाता संख्या – 233, प्लॉट संख्या – 605, रकबा – 50 डी0 मधे 16.75 डी0 चौहदी उ0– परती पथल, द0 – रास्ता, पु0 – चितो कहार, पं0 – लालो गोडायत दर्ज है। जिस पर प्रथम पक्ष के द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है तथा थाना प्रभारी, सरिया के जाँच के प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर वादग्रस्त भूमि पर जाने से रोक लगाई गई है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि बजरिये केवाला संख्या – 898/1979, दिनांक 29.01.1979 से हासिल बता रहा है परन्तु केवाला के क्रेता – विक्रेता कौन है तथा खाता, प्लॉट, रकबा, चौहदी क्या है। स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा है, वह भी प्रथम पक्ष के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 03 – यह कि वादग्रस्त भूमि द्वितीय पक्ष की बजरिये केवाला संख्या – 3225, दिनांक – 26.07.2019 को श्री बंधन यादव, पिता – स्व0 चितो यादव बनाम् द्वितीय पक्ष के धानेश्वर मंडल, पे0 स्व0 नुनु महतो को मौजा – मन्दरामों के अंदर खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 50 डी0, रकबा – 2.61 डी0, चौहदी उ0 – नीज हिस्सेदार, द0 – सड़क, पू0 – चितो कहार, प0 – इमरोजे खरीदगी किरन देवी दर्ज है। जिस पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है तथा अपने दखल कब्जे में लेकर अंचल कार्यालय, सरिया से नामांतरण वाद संख्या – 942/2019–20, दिनांक – 09.03.2020 दाखिल खारिज होकर मांग पंजी II भाग संख्या – 20, पेज नं0 – 82 से लगान रसीद निर्गत कराते चले आ रहे हैं।

कारण – पृच्छा का प्वाइंट नं0 04 – यह कि दूसरा कित्ता भूखण्ड द्वितीय पक्ष के ही सदस्य संख्या – 06 किरण देवी को बजरिये केवाला संख्या – 3229, दिनांक – 25.07.2019 को श्री बंधन यादव, पिता – स्व0 चितो यादव बनाम् द्वितीय पक्ष के किरण देवी, पति धानेश्वर मंडल को हासिल है। जो मौजा – मन्दरामों के अंदर खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 2.61 डी0, चौहदी उ0 – नीज वो हिस्सेदार, द0 – सड़क, पू0 – धानेश्वर मंडल, प0 – डगन मंडल दर्ज है। जिसकी जमाबंदी न्यायालय वाद संख्या 943/2019–20, दिनांक – 09.03.2020 से मांग पंजी II भाग संख्या – 26, पेज नं0 – 25 से लगान रसीद निर्गत हैं। जिस पर द्वितीय पक्ष के सदस्य दखल कब्जा में हैं।

थाना सरिया का प्रतिवेदन –

थाना प्रभारी, सरिया का पत्रांक - **351/2024**, दिनांक – 21.02.2024; कुल 01 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ); **प्रदर्श C-1**

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन/कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं थाना के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
मन्दरामों	233	605	50 डी0 मधे 16.75 डी0	उ0– परती पथल, द0– रास्ता, पु0– चितो कहार, प0– लालो गोडाइत

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 233 खतियान में पुरन गोप के नाम से दर्ज है।
3. उक्त विवादित भूमि **(खाता 233, प्लॉट 605, कुल रकबा 50 डी0)** खतियानी रैयत के पुत्र मंगर गोप के द्वारा, भातु गोप वो किशुन गोप वो चीतो गोप, तीनों पिता – लीलो गोप को बिक्री कर दिया गया था। **(द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित केवाला के आधार पर)**
4. उक्त विवादित भूमि की जमाबंदी पंजी II के भाग संख्या – 1, पृष्ठ संख्या – 217 में भातु गोप के नाम से कायम है।
5. उक्त विवादित भूमि प्रथम पक्ष को केवाला संख्या 898/1979, दिनांक – 29.01.1979 के माध्यम से जमाबंदी रैयत भातु महतो से प्राप्त हुई है तथा दाखिल खारिज होकर प्रथम पक्ष खुबलाल गोप वगै0 के नाम से वर्ष 2016–17 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत हुआ है।
6. द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या 05 को केवाला संख्या – 3225, दिनांक – 26.07.2019 के माध्यम से खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 2.61 डी0 जमीन केवलदार जमाबंदी रैयत के वंशज बंधन यादव, पिता – स्व0 चितो यादव से हासिल है, जिसका दाखिल खारिज होकर द्वितीय पक्ष धानेश्वर मंडल के नाम से वर्ष 2020–21 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत हुआ है।

द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या 06 को केवाला संख्या – 3224, दिनांक – 26.07.2019 के माध्यम से खाता नं0 – 233, प्लॉट नं0 – 605, रकबा – 2.61 डी0 जमीन केवलदार जमाबंदी रैयत के वंशज बंधन यादव, पिता – स्व0 चितो यादव से हासिल है, जिसका दाखिल खारिज होकर द्वितीय पक्ष किरण देवी के नाम से वर्ष 2020–21 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत हुआ है।

विवादित प्लॉट 605 के दक्षिण में सड़क है और सड़क की तरफ विवादित प्लॉट संख्या 605 की चौडाई लगभग 40 फीट है, दोनों पक्ष केवलदार जमाबंदी रैयत/उनके वंशज से जमीन खरीदे है, तथा दोनों पक्ष सड़क की तरफ अधिक से अधिक frontage चाहते हैं जिस बात को लेकर विवाद है, जिसका निराकरण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकारा से बाहर है।

अतः इसी टिप्पणी के साथ इस वाद को समाप्त किया जाता है।

उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

C.C. Issued 19/6/24

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 10:50:58 +05:30
Location: 192.168.1.3

04.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

04.05.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)
बगोदर–सरिया।

C.C. Issued 19/6/24

Scanned with CamScanner